



प्रेस विज्ञप्ति

13.03.2025

अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय ने ईडी द्वारा जांच की जा रही **मेसर्स जीडीएस बिल्डर्स एंड अन्य** के मामले में पीड़ित और सही दावेदार यानी इंडियन बैंक को 5.17 करोड़ रुपये मूल्य की छह संपत्तियों को सफलतापूर्वक वापस कर दिया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी भुवनेश्वर द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह एफआईआर इंडियन बैंक, भुवनेश्वर की शिकायत के आधार पर **मेसर्स जीडीएस बिल्डर्स एंड अन्य** के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी आदि के लिए दर्ज की गई थी। **मेसर्स जीडीएस बिल्डर्स एंड अन्य** ने इंडियन बैंक से ऋण सुविधाएं ली थीं, जो बाद में एनपीए बन गईं क्योंकि उधारकर्ता ने बैंक का बकाया नहीं चुकाया।

जांच के दौरान ईडी ने इंडियन बैंक को वापस की गई छह संपत्तियों सहित विभिन्न संपत्तियों को जब्त कर लिया। ईडी ने मेसर्स जीडीएस बिल्डर्स और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर में अभियोजन शिकायत भी दर्ज की है और माननीय विशेष न्यायालय ने संज्ञान लिया है। माननीय विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर द्वारा संपत्तियों की वापसी के लिए भारतीय बैंक के पक्ष में आदेश पारित करने के बाद वापसी की प्रक्रिया अपनाई गई।

आगे की जांच जारी है।